

डिस्क्लेमर

अंतरिम आदेश संख्या 09/2023-24 के परिशिष्ट 2 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 09/2023-24 का परिशिष्ट 2

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली- 110003

जारी करने की तारीख: 28 फरवरी, 2024

विषय: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई में परियोजना निर्माण कार्य के लिए विकास शुल्क (डीएफ) लगाने के मामले के संबंध में

1. ऐरा की अपील संख्या 4/2023 के संबंध में पारित माननीय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण के दिनांक 19.12.2023 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में 100/- रुपए प्रति अंतरदेशीय यात्री और 600/- रुपए प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री की दर से विकास शुल्क (डीएफ) संग्रहित करने की अवधि दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक बढ़ाई हुई है।
2. यह मामला 21.02.2024 को माननीय टीडीसैट के समक्ष सुनवाई के लिए आया और माननीय अधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ आदेश दिया कि इस अधिकरण द्वारा दिनांक 19.12.2023 को प्रदान की गई अंतरिम राहत एतद्वारा सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ाई जाती है और मामले को 22.03.2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
3. तदनुसार, माननीय टीडीएसएटी के दिनांक 21.02.2024 के अंतरिम आदेश के अनुरूप मुम्बई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 100/-रुपए प्रति अंतरदेशीय यात्री और 600/-रुपए प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री की दर से विकास शुल्क लगाने की अवधि सुनवाई की अगली तारीख अर्थात 22.03.2024 तक बढ़ाई गई है।
4. ऐरा के दिनांक 14.06.2023 के आदेश 09/2023-24 की अन्य सभी शर्तें और निबंधन यथावत रहेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में,

श्री प्रकाश तुलसियानी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, प्रथम तल, टर्मिनल1,
सांताक्रूज (पूर्व) मुम्बई - 400 099.

प्रतिलिपि:

- (i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली 110 003.
- (ii) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110 003.

